



प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I),
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM



सं. प्रशा.(ले.प.)/III/MACPS/Vol.XII

दिनांक: 03.06.2024

अनुभागीय आदेश सं. 86/SECTIONAL ORDER No. 86

‘केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एमएसीपी)’ के तहत श्रीमती रश्मि एस आर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी को नीचे दिए गए विवरणानुसार दिनांक 01.06.2024 से वित्तीय प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

Financial upgradation under MACP Scheme for Central Government employees has been granted to **Smt.Reshmi SR, Senior Audit Officer** as detailed below with effect from **01.06.2024**.

मौजूदा स्तर Existing Level	नया स्तर New Level	पात्रता की तिथि Date of Eligibility	उन्नयन की स्थिति Status of Upgradation
Level 10	Level 11	01.06.2024	2 nd MACP

एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के समय पदोन्नति प्रदान करने पर वेतन नियतन का लाभ भी दिया जाएगा। यदि वे FR 22(I)(a)(1) के तहत विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं, तो उन्हें इस आदेश के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर लिखित रूप में विकल्प देना होगा।

एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने पर, पदनाम, वर्गीकरण अथवा उच्चतर स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हालाँकि, वित्तीय और कुछ अन्य कुछ हितलाभ जो किसी कर्मचारी द्वारा प्राप्त वेतन से जुड़े हैं जैसे कि एचबीए, सरकारी आवास का आवंटन, की अनुमति दी जाएगी।

एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन कर्मचारी के लिए पूरी तरह से व्यक्तिगत होगा और उनकी वरिष्ठता स्थिति से कोई प्रासंगिकता नहीं होगी। योजना के तहत वेतन नियतन के कारण कनिष्ठ को वरिष्ठ से अधिक वेतन मिलने के संबंध में वेतन में कोई वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।

The benefit of pay fixation on grant of promotion shall also be allowed at the time of financial upgradation under MACP Scheme. If she intends to exercise option under FR 22(I)(a)(1), she should give the option in writing within one month from the date of issue of this order.

On grant of financial upgradation under the Scheme, there shall be no change in designation, classification or higher status. However, financial and certain other benefits which are linked to the pay drawn by an employee such as HBA, allotment of Govt. accommodation shall be permitted.

Financial upgradation under MACP Scheme shall be purely personal to the employee and shall have no relevance to her seniority position. No stepping up of pay would be admissible with regard to junior getting more pay than the senior on account of pay fixation under the Scheme.

(प्रधान महालेखाकार के दिनांक 07.02.2024 के आदेशानुसार/Vide orders dated 07.02.2024 of Principal Accountant General)

Sd/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी(प्रशा.)
Senior Audit Officer (Admn.)

प्रतिलिपि/Copy to:

1. अनु आ पुस्तिका
SO Book
2. श्रीमती रश्मि एस आर, वरि.ले.प.अ.
Smt. Reshmi SR, Sr.AO
3. सभी समूह अधिकारीगण
All Group Officers
4. सभी शाखा कार्यालय
All Branch Offices
5. वरि.ले.प.अ. /का.स्था. (बिल्स /रोकड़
/हक) –ले.प. I
Sr.AO/OE (Bills/Cash/Entt)- Au I
6. का.स्था. (बिल्स /रोकड़ /हक) ले.प. I
OE (Bills/Cash/Entt) Au I
7. पी ए ओ/PAO I, II, III
8. गो.कक्ष /हिंदी कक्ष /आईए अनुभाग-लेप. I
C.Cell/Hindi Cell/IA Section- Au I
9. सेवा संगठन
Service Associations
10. सूचना पट्ट
Notice Board
11. व्यक्तिगत फाइल
Personal File